Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-4(A)| April-2026

Original Article

व्यक्तिगत विधियों से संवैधानिक समानता तक: भारत में समान नागरिक संहिता का समालोचनात्मक अध्ययन (हिंदू विधि के विशेष संदर्भ में)

सतीश सिंह[1] डॉ. रोहितास मीना [2]

[1]शोधार्थी, डिपार्टमेंट ऑफ़ लॉ , पी. के. यूनिवर्सिटी, शिवपुरी (म.प्र.)

[2]शोध निर्देशक, एसोसिएट प्रोफेसर , डिपार्टमेंट ऑफ़ लॉ , पी. के. यूनिवर्सिटी, शिवपुरी (म.प्र.)

Email- Singhsatish77672@gmail.com

Manuscript ID:
JRD -2026-180419
ISSN: 2230-9578
Volume 18
Issue 4(A)
Pp 80-88
April- 2026
Submitted: 23 Mar. 2026
Revised: 30 Mar. 2026
Accepted: 14 Apr. 2026
Published: 30 April. 2026

सारांश

यह शोध-पत्र भारत में व्यक्तिगत कानूनों से संवैधानिक समानता की दिशा में समान नागरिक संहिता (*Uniform Civil Code – UCC)* की अवधारणा का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से हिंदू कानून के संदर्भ में[1]। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि विभिन्न धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों की व्यवस्था संवैधानिक मूल्यों, विशेषकर समानता और लैंगिक न्याय, के साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करती है। इस शोध में ऐतिहासिक, तुलनात्मक तथा विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है, जिसके माध्यम से हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी व्यक्तिगत कानूनों की संरचना तथा उनके विकास का अध्ययन किया गया है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों और विधायी सुधारों का भी विश्लेषण किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि हिंदू कानून के संहिताकरण और उसमें किए गए सुधार समान नागरिक संहिता के संभावित ढाँचे के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। साथ ही, यह भी स्पष्ट होता है कि *UCC* के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संवैधानिक मूल्यों, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक विविधता के बीच संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

मुख्य शब्द: समान नागरिक संहिता, व्यक्तिगत विधि, हिंदू विधि, लैंगिक समानता, संवैधानिक न्याय

2. परिचय

भारत एक बहु-धार्मिक, बहु-सांस्कृतिक और बहु-परंपरागत समाज है, जहाँ विभिन्न समुदायों की सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्थाएँ लंबे समय से अलग-अलग व्यक्तिगत विधियों (**Personal Laws**) द्वारा संचालित होती रही हैं। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना और भरण-पोषण जैसे विषय ऐतिहासिक रूप से धार्मिक परंपराओं और सामुदायिक मान्यताओं से जुड़े रहे हैं। इसी कारण भारतीय विधिक व्यवस्था में कानूनी बहुलवाद (**Legal Pluralism**) की परंपरा विकसित हुई, जिसमें अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं।

हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदायों के लिए अलग विधिक व्यवस्थाएँ भारत के पारिवारिक कानूनों की संरचना को निर्धारित करती हैं[2]। हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद भारत ने स्वयं को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समानता आधारित संविधान के अधीन स्थापित किया।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
सतीश सिंह *शोधार्थी, डिपार्टमेंट ऑफ़ लॉ , पी. के. यूनिवर्सिटी, शिवपुरी (म.प्र.)*

.How to cite this article:
सिंह, . सतीश ., & मीना, . रोहितास . (2026). व्यक्तिगत विधियों से संवैधानिक समानता तक: भारत में समान नागरिक संहिता का समालोचनात्मक अध्ययन (हिंदू विधि के विशेष संदर्भ में). Journal of research & development, 18(4(A)), 80–88. https://doi.org/10.5281/zenodo.20378625

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.20378625
OPEN ACCESS

[1] Narendra Subramanian, Nation and Family: Personal Law, Cultural Pluralism and Gendered Citizenship in India, Stanford University Press, 2014, p. 92.
[2] M.P. Jain, Indian Constitutional Law, 8th edn., LexisNexis, New Delhi, 2018, p. 1425.

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-4(A)| April-2026

संविधान के मूल अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता और गरिमा जैसे सिद्धांतों को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसी संदर्भ में समान नागरिक संहिता (**Uniform Civil Code – UCC**) की अवधारणा सामने आती है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू करना है, ताकि व्यक्तिगत कानूनों के कारण उत्पन्न असमानताओं को समाप्त किया जा सके[3]।

व्यक्तिगत कानूनों की अवधारणा

भारत में व्यक्तिगत कानूनों की अवधारणा ऐतिहासिक रूप से धार्मिक ग्रंथों, प्रथाओं और सामाजिक मान्यताओं पर आधारित रही है। प्राचीन काल में हिंदू विधि का आधार धर्मशास्त्र, स्मृतियाँ और प्रथागत नियम थे, जबकि मुस्लिम समुदाय के लिए शरिया आधारित विधिक सिद्धांत लागू होते थे। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन ने इन परंपरागत व्यवस्थाओं को पूर्णतः समाप्त करने के बजाय उन्हें संहिताबद्ध और व्यवस्थित करने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप एंग्लो-हिंदू और एंग्लो-मुस्लिम कानून का विकास हुआ, जिसने आधुनिक व्यक्तिगत कानूनों की आधारशिला रखी[4]।

स्वतंत्रता के बाद हिंदू कानून में व्यापक सुधार किए गए, जैसे कि विवाह, उत्तराधिकार और गोद लेने से संबंधित अधिनियमों का निर्माण। इसके बावजूद भारत में आज भी विभिन्न समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं, जो कई बार समानता और न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों के साथ टकराव उत्पन्न करते हैं।

कानूनी बहुलवाद और उसकी चुनौतियाँ

कानूनी बहुलवाद भारतीय समाज की विविधता को संरक्षित करने का एक साधन माना जाता है, क्योंकि यह विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की अनुमति देता है। परंतु इसी व्यवस्था के कारण कई बार लैंगिक असमानता, अधिकारों में भिन्नता और न्यायिक जटिलता जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, विवाह और तलाक से जुड़े नियम विभिन्न समुदायों में अलग-अलग होने के कारण महिलाओं के अधिकारों में असमानता देखी जाती है।

इसी कारण कई विधि विशेषज्ञों और सामाजिक सुधारकों का मत है कि एक समान नागरिक संहिता समाज में समानता और न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालाँकि, इसके विरोध में यह तर्क भी दिया जाता है कि एक समान कानून लागू करने से धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता प्रभावित हो सकती है।

समान नागरिक संहिता की आवश्यकता

भारतीय संविधान के **Directive Principles of State Policy** के अंतर्गत **Article 44** में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे[5]। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार धर्म या समुदाय के आधार पर भिन्न न हों। समान नागरिक संहिता को अक्सर संवैधानिक समानता, लैंगिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जाता है[6]।

विशेष रूप से हिंदू कानून के संदर्भ में यह तर्क दिया जाता है कि स्वतंत्रता के बाद हुए विधिक सुधारों ने हिंदू व्यक्तिगत कानूनों को काफी हद तक आधुनिक और समानता आधारित बनाया है। इसलिए कई विद्वान मानते हैं कि हिंदू कानून के सुधारों से प्राप्त अनुभव समान नागरिक संहिता के संभावित ढाँचे के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल प्रदान कर सकते हैं।

अध्ययन की प्रासंगिकता

वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता का प्रश्न भारतीय विधिक और राजनीतिक विमर्श का एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों, विधि आयोग की रिपोर्टों और हाल के विधायी प्रयासों ने इस विषय को और अधिक प्रासंगिक बना दिया है। ऐसे परिदृश्य में व्यक्तिगत कानूनों और संवैधानिक मूल्यों के बीच संबंध का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

यह अध्ययन विशेष रूप से हिंदू विधि के संदर्भ में समान नागरिक संहिता की अवधारणा का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि व्यक्तिगत कानूनों की परंपरा से आगे बढ़ते हुए भारत किस प्रकार संवैधानिक समानता और न्याय के आदर्शों के अनुरूप एक संतुलित विधिक व्यवस्था विकसित कर सकता है।

क्रमांक	समुदाय	प्रमुख अधिनियम	लागू क्षेत्र	प्रमुख विशेषताएँ
1	हिंदू	**Hindu Marriage Act 1955**	विवाह और तलाक	एकपत्नी प्रथा, तलाक के वैधानिक आधार
2	हिंदू	**Hindu Succession Act 1956 (Amended 2005)**	उत्तराधिकार	पुत्रियों को समान संपत्ति अधिकार

[3] B. Sivaramayya, "Uniform Civil Code: The Debate in India", Journal of the Indian Law Institute, Vol. 45, No. 3, 2003, p. 412.
[4] Paras Diwan, Modern Hindu Law, 21st edn., Allahabad Law Agency, Faridabad, 2019, p. 5.
[5] Constitution of India, Art. 44.
[6] H.M. Seervai, Constitutional Law of India, 4th edn., Universal Law Publishing, New Delhi, 2015, Vol. 3, p. 2950.

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-4(A)| April-2026

3	मुस्लिम	Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1937	विवाह, तलाक, उत्तराधिकार	धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित
4	ईसाई	Indian Christian Marriage Act 1872	विवाह	चर्च आधारित विवाह पंजीकरण
5	पारसी	Parsi Marriage and Divorce Act 1936	विवाह और तलाक	सामुदायिक न्यायिक व्यवस्था
6	बहु-धार्मिक	Special Marriage Act 1954	सिविल विवाह	धर्मनिरपेक्ष वैवाहिक विकल्प

तालिका 1: डेटा तालिका: भारत में प्रमुख व्यक्तिगत कानून और उनके मुख्य क्षेत्र

3. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: व्यक्तिगत कानूनों का विकास

भारत में व्यक्तिगत कानूनों का विकास एक दीर्घ ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें धार्मिक परंपराएँ, सामाजिक प्रथाएँ तथा औपनिवेशिक शासन की विधिक नीतियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और पारिवारिक संबंधों से जुड़े नियम लंबे समय तक धार्मिक ग्रंथों और समुदाय आधारित परंपराओं के माध्यम से संचालित होते रहे। इसी कारण भारत में व्यक्तिगत कानूनों की संरचना केवल विधिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास से भी गहराई से जुड़ी हुई है।

प्राचीन हिंदू विधि और धर्मशास्त्रीय आधार

प्राचीन भारत में हिंदू विधि का मुख्य आधार धर्मशास्त्र, स्मृतियाँ और प्रथागत नियम थे। धर्मशास्त्रों में समाज के नैतिक, धार्मिक और कानूनी आचरण से संबंधित विस्तृत नियमों का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति जैसे ग्रंथों में विवाह, उत्तराधिकार, परिवार और संपत्ति के संबंध में विस्तृत प्रावधान दिए गए थे। इन ग्रंथों का उद्देश्य केवल कानूनी नियम निर्धारित करना नहीं था, बल्कि सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक कर्तव्यों को भी नियंत्रित करना था[7]।

प्राचीन हिंदू समाज में परिवार को सामाजिक जीवन की मूल इकाई माना जाता था और संपत्ति का अधिकार मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होता था। संयुक्त परिवार प्रणाली, पितृसत्तात्मक उत्तराधिकार और धार्मिक कर्तव्यों की अवधारणा हिंदू विधि की प्रमुख विशेषताएँ थीं। विभिन्न क्षेत्रों और जातियों में प्रथागत नियमों के कारण कानून की व्याख्या में विविधता भी देखने को मिलती थी। उदाहरण के लिए, मिताक्षरा और दायभाग जैसी दो प्रमुख विधिक परंपराएँ उत्तराधिकार के संबंध में अलग-अलग सिद्धांत प्रस्तुत करती थीं।

औपनिवेशिक हस्तक्षेप और विधिक संरचना में परिवर्तन

18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ भारतीय विधिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ब्रिटिश प्रशासन ने प्रारंभिक चरण में यह नीति अपनाई कि व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में प्रत्येक समुदाय के धार्मिक कानूनों को मान्यता दी जाए। इसी उद्देश्य से हिंदू और मुस्लिम कानूनों को समझने और लागू करने के लिए न्यायालयों में पंडितों और मौलवियों की सहायता ली जाती थी।

हालाँकि, समय के साथ ब्रिटिश न्यायालयों ने इन धार्मिक नियमों को व्यवस्थित और न्यायिक रूप से लागू करने के लिए एक औपचारिक विधिक ढाँचा विकसित करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया में कई बार धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या न्यायाधीशों और विधि विशेषज्ञों द्वारा की गई, जिससे पारंपरिक कानूनों की प्रकृति में परिवर्तन आने लगा।

औपनिवेशिक शासन ने कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार भी लागू किए, जिनका उद्देश्य समाज में प्रचलित कुछ प्रथाओं को समाप्त करना था। उदाहरण के लिए, सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान करना तथा बाल विवाह के विरुद्ध कानून बनाना जैसे कदम भारतीय समाज में सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन सुधारों ने व्यक्तिगत कानूनों की पारंपरिक संरचना को प्रभावित किया और आधुनिक विधिक व्यवस्था की दिशा में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया[8]।

एंग्लो-हिंदू कानून का उदय

ब्रिटिश काल में हिंदू विधि के न्यायिक अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप एंग्लो-हिंदू कानून का विकास हुआ। यह प्रणाली पारंपरिक हिंदू धार्मिक ग्रंथों और ब्रिटिश न्यायिक सिद्धांतों के मिश्रण पर आधारित थी। न्यायालयों ने धर्मशास्त्रों की व्याख्या करते हुए कई ऐसे निर्णय दिए, जिन्होंने हिंदू कानून की आधुनिक संरचना को आकार दिया।

एंग्लो-हिंदू कानून के विकास के दौरान कई बार धार्मिक ग्रंथों के सिद्धांतों को आधुनिक न्यायिक आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित या पुनर्व्याख्यायित किया गया। इस प्रक्रिया में प्रथागत कानूनों को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक प्रथाएँ अलग-अलग थीं। परिणामस्वरूप हिंदू व्यक्तिगत कानून एक स्थिर धार्मिक व्यवस्था के बजाय एक विकसित होती हुई न्यायिक प्रणाली के रूप में उभरने लगा।

[7] Flavia Agnes, Family Law and Constitutional Claims, Oxford University Press, New Delhi, 2011, p. 63.
[8] Constitution of India, Art. 14.

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-4(A)| April-2026

यह भी उल्लेखनीय है कि औपनिवेशिक काल में विकसित इस विधिक ढाँचे ने स्वतंत्रता के बाद हिंदू कानून के व्यापक संहिताकरण के लिए आधार तैयार किया। आधुनिक हिंदू विधि के कई सिद्धांत, जो बाद में विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से स्थापित हुए, उनकी जड़ें एंग्लो-हिंदू कानून की न्यायिक परंपरा में देखी जा सकती हैं।

इस प्रकार व्यक्तिगत कानूनों का ऐतिहासिक विकास यह दर्शाता है कि भारतीय विधिक व्यवस्था केवल धार्मिक परंपराओं का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, औपनिवेशिक नीतियों और न्यायिक व्याख्याओं की संयुक्त प्रक्रिया से विकसित हुई है। यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता पर चल रही बहस को समझने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है।

क्रमांक	कालखंड	प्रमुख स्रोत / विधिक आधार	मुख्य विशेषताएँ
1	प्राचीन काल	धर्मशास्त्र और स्मृतियाँ	धार्मिक और सामाजिक नियमों पर आधारित व्यक्तिगत कानून
2	प्रारंभिक मध्यकाल	प्रथागत कानून और क्षेत्रीय परंपराएँ	विभिन्न समुदायों में विविध कानूनी प्रथाएँ
3	औपनिवेशिक प्रारंभिक चरण	ब्रिटिश न्यायालयों द्वारा धार्मिक कानूनों की मान्यता	पंडितों और मौलवियों की सहायता से निर्णय
4	19वीं शताब्दी सुधार काल	सामाजिक सुधार कानून	सती उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह की वैधता
5	औपनिवेशिक उत्तरकाल	एंग्लो-हिंदू कानून का विकास	धर्मशास्त्र और ब्रिटिश न्यायिक सिद्धांतों का मिश्रण
6	स्वतंत्रता पूर्व चरण	न्यायिक व्याख्याएँ और विधिक संहिताकरण की तैयारी	आधुनिक हिंदू कानून के लिए आधार तैयार

तालिका 2: टा तालिका: व्यक्तिगत कानूनों के ऐतिहासिक विकास के प्रमुख चरण

4. स्वतंत्रता के बाद हिंदू कानून का संहिताकरण

भारत की स्वतंत्रता के बाद विधिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण और सामाजिक सुधार को ध्यान में रखते हुए हिंदू व्यक्तिगत कानूनों का व्यापक संहिताकरण (**Codification**) किया गया। यह प्रक्रिया भारतीय समाज में समानता, सामाजिक न्याय और आधुनिक संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। स्वतंत्रता से पहले हिंदू कानून मुख्यतः धार्मिक ग्रंथों, प्रथागत नियमों और न्यायालयों की व्याख्याओं पर आधारित था, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में कानून की व्याख्या और अनुप्रयोग में असमानता देखी जाती थी। इस स्थिति को स्पष्ट, संगठित और आधुनिक बनाने के लिए स्वतंत्र भारत की संसद ने कई महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए, जिन्हें सामूहिक रूप से हिंदू कोड बिल सुधार के रूप में जाना जाता है।

हिंदू विवाह अधिनियम **1955**

Hindu Marriage Act 1955 हिंदू पारिवारिक कानून के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण विधायी कदम था। इस अधिनियम ने हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार के साथ-साथ एक वैधानिक संस्था के रूप में मान्यता दी। इस कानून के माध्यम से एकपत्नी प्रथा को अनिवार्य बनाया गया और बहुविवाह को अवैध घोषित किया गया[9]। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम ने तलाक के वैधानिक आधारों को भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया, जैसे क्रूरता, परित्याग, धर्म परिवर्तन और मानसिक विकार।

इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इसने विवाह संस्था को अधिक न्यायसंगत और संतुलित बनाने का प्रयास किया। पहले जहाँ तलाक की अवधारणा हिंदू कानून में लगभग अनुपस्थित थी, वहीं इस कानून ने पति और पत्नी दोनों को समान रूप से वैवाहिक संबंध समाप्त करने का अधिकार प्रदान किया। इससे वैवाहिक संबंधों में न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम **1956**

Hindu Succession Act 1956 का उद्देश्य संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित नियमों को स्पष्ट और व्यवस्थित करना था। पारंपरिक हिंदू कानून में संपत्ति का अधिकार मुख्य रूप से पुरुषों तक सीमित था और महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर थी। इस अधिनियम ने महिलाओं को संपत्ति के अधिकार प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार किए[10]।

बाद में **2005** के संशोधन के माध्यम से पुत्रियों को भी पैतृक संपत्ति में पुत्रों के समान अधिकार प्रदान किया गया। यह संशोधन भारतीय विधिक इतिहास में लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। इस परिवर्तन ने संयुक्त परिवार की संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी को कानूनी रूप से मान्यता दी और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

[9] Hindu Marriage Act, 1955.
[10] Hindu Succession Act, 1956 (as amended in 2005).

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-4(A)| April-2026

हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956

Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 ने दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया और परिवार के सदस्यों के भरण-पोषण से संबंधित नियमों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। इस अधिनियम के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि दत्तक ग्रहण एक विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत हो और दत्तक संतान को जैविक संतान के समान अधिकार प्राप्त हों[11]।

इसके अतिरिक्त इस अधिनियम ने पति, पत्नी, बच्चों और आश्रित माता-पिता के भरण-पोषण से संबंधित अधिकारों और कर्तव्यों को भी स्पष्ट किया। इस प्रकार यह कानून केवल दत्तक ग्रहण तक सीमित नहीं था, बल्कि पारिवारिक उत्तरदायित्व और सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा को भी मजबूत करता है।

सामाजिक सुधार और लैंगिक न्याय

स्वतंत्रता के बाद हिंदू कानून के संहिताकरण का मुख्य उद्देश्य केवल विधिक स्पष्टता प्रदान करना नहीं था, बल्कि समाज में समानता और न्याय के संवैधानिक मूल्यों को लागू करना भी था। इन सुधारों ने महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विवाह, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण से जुड़े नियमों में परिवर्तन ने पारंपरिक पितृसत्तात्मक संरचना को चुनौती दी और लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया[12]।

इन विधिक सुधारों ने यह भी प्रदर्शित किया कि व्यक्तिगत कानूनों को सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है। इसी कारण कई विधि विशेषज्ञ यह तर्क देते हैं कि हिंदू कानून में हुए सुधार समान नागरिक संहिता के संभावित ढाँचे के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद हिंदू कानून का संहिताकरण भारतीय विधिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसने व्यक्तिगत कानूनों को आधुनिक संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बनाने का प्रयास किया और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति सुनिश्चित की।

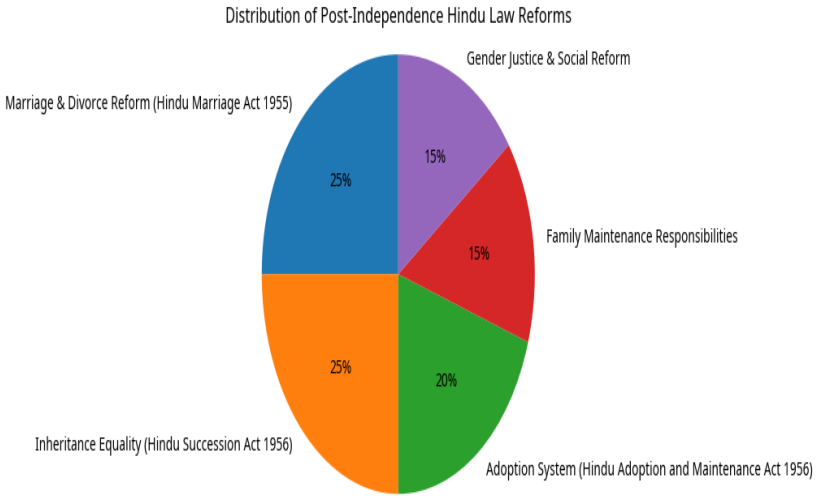

आकृति 1: Distribution of Post-Independence Hindu Law Reforms

6. भारत में विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन

भारत की विधिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता कानूनी बहुलवाद **(Legal Pluralism)** है, जिसके अंतर्गत विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण जैसे पारिवारिक मामलों को नियंत्रित करने वाले ये कानून मुख्यतः धार्मिक परंपराओं, सामाजिक प्रथाओं और विधायी प्रावधानों पर आधारित हैं। भारत में प्रमुख रूप से हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून अस्तित्व में हैं। इन कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न समुदायों में पारिवारिक अधिकारों और कर्तव्यों की संरचना किस प्रकार भिन्न है।

हिंदू व्यक्तिगत कानून

हिंदू व्यक्तिगत कानून भारत में सबसे व्यापक रूप से संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानूनों में से एक है। स्वतंत्रता के बाद संसद ने विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए। इन अधिनियमों में **Hindu Marriage**

[11] Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956.
[12] Tahir Mahmood, "Uniform Civil Code and Gender Justice", Journal of Indian Law and Society, Vol. 6, 2015, p. 35.

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-4(A)| April-2026

Act 1955, Hindu Succession Act 1956, Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 और **Hindu Minority and Guardianship Act 1956** प्रमुख हैं[13]।

इन कानूनों का उद्देश्य पारंपरिक हिंदू विधि को आधुनिक सामाजिक और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बनाना था। विशेष रूप से उत्तराधिकार के क्षेत्र में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करना और विवाह संस्था को कानूनी रूप से विनियमित करना इन सुधारों की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। हिंदू व्यक्तिगत कानून की एक विशिष्ट विशेषता यह भी है कि इसमें दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को विधिक मान्यता दी गई है, जो अन्य कई व्यक्तिगत कानूनों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती[14]।

मुस्लिम व्यक्तिगत कानून

मुस्लिम व्यक्तिगत कानून मुख्यतः शरिया सिद्धांतों पर आधारित है और भारत में इसका प्रमुख स्रोत **Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1937** है[15]। यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक संबंधों से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है[16]।

मुस्लिम कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें विवाह को धार्मिक अनुबंध (**contract**) के रूप में माना जाता है। तलाक की प्रक्रिया भी धार्मिक सिद्धांतों से प्रभावित होती है। हालाँकि, समय के साथ न्यायपालिका और विधायिका ने कुछ सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जैसे कि तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित करना। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में दत्तक ग्रहण की पारंपरिक अवधारणा हिंदू कानून की तरह स्पष्ट रूप से विकसित नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर अभिभावकत्व की व्यवस्था अधिक प्रचलित है।

ईसाई व्यक्तिगत कानून

ईसाई समुदाय के लिए विवाह और तलाक से संबंधित प्रमुख कानून **Indian Christian Marriage Act 1872**[17] और **Indian Divorce Act 1869** हैं। ये कानून औपनिवेशिक काल में बनाए गए थे और बाद में इनमें कई संशोधन किए गए ताकि वे आधुनिक सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप बन सकें।

ईसाई व्यक्तिगत कानून में विवाह को एक धार्मिक और कानूनी दोनों प्रकार की संस्था के रूप में देखा जाता है। तलाक के संबंध में पहले कठोर नियम थे, लेकिन समय के साथ संशोधनों के माध्यम से इन्हें अधिक व्यावहारिक बनाया गया। उत्तराधिकार से संबंधित मामलों में ईसाई समुदाय के लिए **Indian Succession Act 1925** लागू होता है, जो संपत्ति के वितरण के लिए एक सामान्य विधिक ढाँचा प्रदान करता है।

पारसी व्यक्तिगत कानून

पारसी समुदाय के लिए पारिवारिक मामलों को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून **Parsi Marriage and Divorce Act 1936** है[18]। यह कानून विवाह और तलाक से संबंधित नियमों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है और पारसी समुदाय के लिए एक विशिष्ट न्यायिक व्यवस्था भी प्रदान करता है।

पारसी कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें सामुदायिक पहचान और धार्मिक परंपराओं को बनाए रखने पर विशेष बल दिया जाता है। पारसी विवाह और तलाक के मामलों में विशेष पारसी न्यायालयों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। हालांकि पारसी समुदाय की जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है, फिर भी उनके व्यक्तिगत कानून भारत की कानूनी बहुलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

तुलनात्मक विश्लेषण

इन सभी व्यक्तिगत कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन यह दर्शाता है कि भारतीय विधिक व्यवस्था में पारिवारिक अधिकारों और कर्तव्यों की संरचना समुदाय विशेष के धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित है। हिंदू कानून अपेक्षाकृत अधिक संहिताबद्ध और आधुनिक सुधारों से प्रभावित है, जबकि मुस्लिम कानून में धार्मिक सिद्धांतों की प्रमुख भूमिका बनी हुई है। ईसाई और पारसी कानून औपनिवेशिक विधिक परंपरा से प्रभावित हैं, लेकिन समय के साथ इनमें भी कई सुधार किए गए हैं।

इस विविधता के कारण एक ओर जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षण मिलता है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न समुदायों के नागरिकों के अधिकारों में असमानता भी उत्पन्न हो सकती है। यही कारण है कि समान नागरिक संहिता पर होने वाली बहस में व्यक्तिगत कानूनों के तुलनात्मक अध्ययन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह अध्ययन यह समझने में सहायता करता है कि भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावनाएँ और चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं।

---

[13] Constitution of India, Art. 15.
[14] Law Commission of India, Consultation Paper on Reform of Family Law, 2018, p. 12.
[15] Tahir Mahmood, Muslim Law in India and Abroad, 2nd edn., Universal Law Publishing, New Delhi, 2012, p. 84.
[16] Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937.
[17] Indian Christian Marriage Act, 1872.
[18] Parsi Marriage and Divorce Act, 1936.

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-4(A)| April-2026

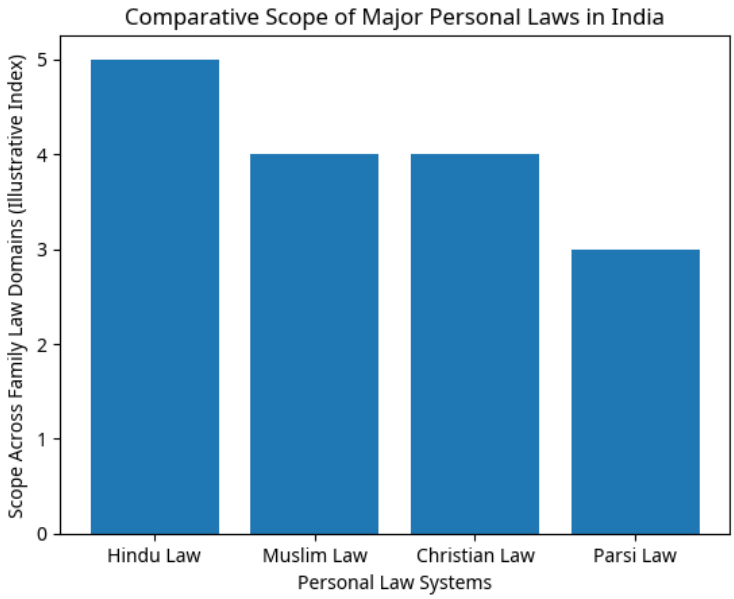

आकृति 2:Comparative Scope of Personal Laws in India

7. न्यायिक दृष्टिकोण और प्रमुख न्यायिक निर्णय

भारत में समान नागरिक संहिता (**Uniform Civil Code – UCC**) से संबंधित बहस में न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने समय-समय पर ऐसे निर्णय दिए हैं जिन्होंने व्यक्तिगत कानूनों और संवैधानिक मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है[19]। इन निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने न केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की है बल्कि विधायिका को भी समान नागरिक संहिता के प्रश्न पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण मामलों ने इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बना दिया।

शाह बानो मामला **1985**

Shah Bano Case (Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum, 1985) भारतीय न्यायिक इतिहास का एक ऐतिहासिक निर्णय माना जाता है[20]। इस मामले में एक मुस्लिम महिला शाह बानो ने अपने पति से तलाक के बाद भरण-पोषण की मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **125** के अंतर्गत यह निर्णय दिया कि तलाकशुदा महिला को भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित क्यों न हो[21]।

न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया कि समान नागरिक संहिता भारतीय समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। इस निर्णय ने व्यापक सामाजिक और राजनीतिक बहस को जन्म दिया और यह स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत कानूनों और संवैधानिक अधिकारों के बीच कई बार टकराव उत्पन्न हो सकता है।

सरला मुद्गल मामला **1995**

Sarla Mudgal v. Union of India (1995) का मामला बहुविवाह और धार्मिक परिवर्तन से संबंधित था। इस मामले में यह प्रश्न उठा कि क्या कोई हिंदू पुरुष इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी शादी कर सकता है, जबकि उसकी पहली शादी अभी भी वैध है[22]। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि केवल दूसरी शादी करने के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करना कानून के दुरुपयोग के समान है और यह वैध नहीं माना जा सकता।

न्यायालय ने अपने निर्णय में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों की उपस्थिति कई बार न्यायिक जटिलताओं को जन्म देती है। इस मामले ने यह स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत कानूनों की विविधता के कारण समानता के सिद्धांत को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

[19] Constitution of India, Art. 25.
[20] Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum, AIR 1985 SC 945.
[21] Upendra Baxi, "The Crisis of the Indian Legal System", Vikas Publishing House, New Delhi, 1982, p. 147.
[22] Sarla Mudgal v. Union of India, AIR 1995 SC 1531.

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-4(A)| April-2026

शायरा बानो मामला 2017

Shayara Bano v. Union of India (2017) में सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय में प्रचलित तत्काल तीन तलाक (**Triple Talaq**) की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया[23]। न्यायालय ने यह माना कि यह प्रथा महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और संविधान के समानता तथा गरिमा के सिद्धांतों के विपरीत है।

इस निर्णय को महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और लैंगिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। इसके बाद संसद ने **Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act 2019** पारित किया, जिसने तीन तलाक को दंडनीय अपराध घोषित किया। यह निर्णय इस बात का उदाहरण है कि न्यायपालिका किस प्रकार व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

विनिता शर्मा मामला 2020

Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma (2020) का निर्णय हिंदू उत्तराधिकार कानून में लैंगिक समानता से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय है[24]। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि **Hindu Succession (Amendment) Act 2005** के अंतर्गत पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में पुत्रों के समान अधिकार प्राप्त हैं, और यह अधिकार जन्म से ही लागू होता है।

इस निर्णय ने यह सुनिश्चित किया कि हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति में महिलाओं को समान भागीदारी मिले। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पिता के जीवित होने या न होने से पुत्री के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह निर्णय भारतीय विधिक व्यवस्था में लैंगिक समानता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

न्यायिक दृष्टिकोण का महत्व

उपरोक्त सभी निर्णय यह दर्शाते हैं कि भारतीय न्यायपालिका व्यक्तिगत कानूनों और संवैधानिक मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। न्यायालयों ने कई मामलों में समानता, गरिमा और न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी है। इन निर्णयों ने समान नागरिक संहिता पर चल रही बहस को भी प्रभावित किया है और यह संकेत दिया है कि व्यक्तिगत कानूनों में सुधार और आधुनिकीकरण समय की आवश्यकता है।

8. समान नागरिक संहिता की चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

समान नागरिक संहिता (**Uniform Civil Code – UCC**) का उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक संबंधों से संबंधित एक समान कानून स्थापित करना है। यद्यपि यह अवधारणा संवैधानिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है, फिर भी इसके कार्यान्वयन से जुड़ी कई चुनौतियाँ और आलोचनाएँ सामने आती रही हैं।

सबसे प्रमुख चुनौती धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन स्थापित करने की है। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने और उसकी परंपराओं को बनाए रखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है[25]। कई समुदायों का यह मत है कि यदि एक समान नागरिक संहिता लागू की जाती है, तो इससे उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान प्रभावित हो सकती है। इसलिए वे इसे धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं।

दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित है। कुछ अल्पसंख्यक समुदायों को यह आशंका रहती है कि समान नागरिक संहिता लागू होने पर उनके व्यक्तिगत कानूनों की विशिष्टता समाप्त हो सकती है। इस कारण वे इसे बहुसंख्यक संस्कृति के प्रभाव के रूप में भी देख सकते हैं।

इसके अतिरिक्त राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियाँ भी इस विषय को जटिल बनाती हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के दृष्टिकोण अलग-अलग होने के कारण इस विषय पर व्यापक सहमति बनाना कठिन हो जाता है। सामाजिक स्तर पर भी लोगों की धार्मिक आस्थाएँ और परंपराएँ व्यक्तिगत कानूनों से गहराई से जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण किसी भी व्यापक विधिक परिवर्तन को स्वीकार करना एक संवेदनशील प्रक्रिया बन जाता है।

9. हिंदू कानून: UCC के लिए एक मॉडल के रूप में

भारत में व्यक्तिगत कानूनों के सुधार के संदर्भ में हिंदू कानून को अक्सर समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) के संभावित मॉडल के रूप में देखा जाता है। स्वतंत्रता के बाद हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में किए गए व्यापक विधायी सुधारों ने यह प्रदर्शित किया कि पारंपरिक धार्मिक कानूनों को सामाजिक परिवर्तन और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है। Hindu

[23] Shayara Bano v. Union of India, (2017) 9 SCC 1.
[24] Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma, (2020) 9 SCC 1.
[25] Granville Austin, The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation, Oxford University Press, New Delhi, 1999, p. 323.

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-4(A)| April-2026

Marriage Act 1955, Hindu Succession Act 1956, Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 तथा अन्य संबंधित अधिनियमों ने हिंदू पारिवारिक कानून को एक व्यवस्थित और संहिताबद्ध स्वरूप प्रदान किया।

इन सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव लैंगिक समानता के क्षेत्र में देखा गया। विशेष रूप से Hindu Succession (Amendment) Act 2005 के माध्यम से पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में पुत्रों के समान अधिकार प्रदान किए गए, जो भारतीय विधिक इतिहास में महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसी प्रकार विवाह और तलाक से संबंधित कानूनों में भी पति और पत्नी दोनों को समान अधिकार प्रदान किए गए, जिससे पारिवारिक संबंधों में न्याय और संतुलन को बढ़ावा मिला।

हिंदू कानून के सुधारों की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनमें संवैधानिक मूल्यों जैसे समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखा गया। इन सुधारों के माध्यम से यह सिद्ध हुआ कि व्यक्तिगत कानूनों को आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जा सकता है।

इसी कारण कई विधि विशेषज्ञों और नीति-निर्माताओं का मत है कि हिंदू कानून में किए गए सुधार समान नागरिक संहिता के संभावित ढाँचे के लिए एक उपयोगी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हालांकि यह भी आवश्यक है कि किसी भी समान नागरिक संहिता को तैयार करते समय भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखा जाए। इस प्रकार हिंदू कानून के सुधार यह संकेत देते हैं कि व्यक्तिगत कानूनों में क्रमिक और संतुलित परिवर्तन के माध्यम से संवैधानिक समानता की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

10. निष्कर्ष

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारत में व्यक्तिगत कानूनों की व्यवस्था ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक परंपराओं से विकसित हुई है, किंतु आधुनिक संवैधानिक मूल्यों के संदर्भ में इनमें सुधार की आवश्यकता समय-समय पर महसूस की गई है। न्यायपालिका के महत्वपूर्ण निर्णयों तथा हिंदू कानून के संहिताकरण ने यह दर्शाया है कि पारिवारिक कानूनों को समानता और लैंगिक न्याय के अनुरूप परिवर्तित किया जा सकता है। समान नागरिक संहिता के संदर्भ में भविष्य की नीति ऐसी होनी चाहिए जो संवैधानिक समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक विविधता के बीच संतुलन स्थापित करे। इसके लिए क्रमिक सुधार, व्यापक संवाद और सभी समुदायों की भागीदारी आवश्यक है, जिससे न्यायसंगत और समावेशी विधिक व्यवस्था विकसित हो सके।

ग्रंथ सूची

1. Narendra Subramanian, Nation and Family: Personal Law, Cultural Pluralism and Gendered Citizenship in India, Stanford University Press, 2014, p. 92.
2. M.P. Jain, Indian Constitutional Law, 8th edn., LexisNexis, New Delhi, 2018, p. 1425.
3. B. Sivaramayya, “Uniform Civil Code: The Debate in India”, Journal of the Indian Law Institute, Vol. 45, No. 3, 2003, p. 412.
4. Paras Diwan, Modern Hindu Law, 21st edn., Allahabad Law Agency, Faridabad, 2019, p. 5.
5. Constitution of India, Art. 44.
6. H.M. Seervai, Constitutional Law of India, 4th edn., Universal Law Publishing, New Delhi, 2015, Vol. 3, p. 2950.
7. Flavia Agnes, Family Law and Constitutional Claims, Oxford University Press, New Delhi, 2011, p. 63.
8. Constitution of India, Art. 14.
9. Hindu Marriage Act, 1955.
10. Hindu Succession Act, 1956 (as amended in 2005).
11. Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956.
12. Tahir Mahmood, “Uniform Civil Code and Gender Justice”, Journal of Indian Law and Society, Vol. 6, 2015, p. 35.
13. Constitution of India, Art. 15.
14. Law Commission of India, Consultation Paper on Reform of Family Law, 2018, p. 12.
15. Tahir Mahmood, Muslim Law in India and Abroad, 2nd edn., Universal Law Publishing, New Delhi, 2012, p. 84.
16. Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937.
17. Indian Christian Marriage Act, 1872.
18. Parsi Marriage and Divorce Act, 1936.
19. Constitution of India, Art. 25.
20. Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum, AIR 1985 SC 945.
21. Upendra Baxi, “The Crisis of the Indian Legal System”, Vikas Publishing House, New Delhi, 1982, p. 147.
22. Sarla Mudgal v. Union of India, AIR 1995 SC 1531.
23. Shayara Bano v. Union of India, (2017) 9 SCC 1.
24. Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma, (2020) 9 SCC 1.
25. Granville Austin, The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation, Oxford University Press, New Delhi, 1999, p. 323.